भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
BANARAS HINDU UNIVERSITY
:दूरभाष (0542) 6702068, 2307004 (सं.कु); 6702076, 2307005 (कार्यालय);फैक्स : 91-542-2368428;ई.मेल: administration@itbhu.ac.in

कुलसचिव कार्यालय
(प्रशासन)

Office of the Registrar
(Administration)

पत्र संख्या. भा.प्रौ.सं.(का.हि.वि.)/सा.प्रशा./3(8-ग)/रा.भा.प्र/सामान्य 592 दिनांकः 13.07.2017

1. समस्त अधिष्ठातागण
2. समस्त विभागाध्यक्ष/स्कूलों के समन्वयक
3. प्रभारी इकाई/केन्द्र/कार्यालय
4. समस्त आचार्य प्रभारी
5. अध्यक्ष, संस्थान निर्माण समिति
6. अध्यक्ष, कैफेटेरिया
7. अध्यक्ष, संरक्षक परिषद
8. अध्यक्ष, सीनेट लाइब्रेरी समिति
9. अध्यक्ष, वेब मैनेजमेंट एंड ईमेल सर्विसेज समिति
10. चीफ काउंसलर, जिमखाना
11. उप मुख्य आरक्षाधिकारी
12. समन्वयक, गांधी प्रौद्योगिकी स्नातक केन्द्र
13. समस्त प्रशासनिक संरक्षक
14. समस्त संयुक्त कुलसचिव
15. उप कुलसचिव
16. समस्त सहायक कुलसचिव
17. समस्त अनुभाग अधिकारी

भा.प्रौ.सं.(का.हि.वि.)।

विषय- हिंदी के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले राज्यों में बोर्डों, साइन बोर्डों, नाम पट्टों और दिशा-संकेतकों पर हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त उन भाषाओं का प्रयोग, जिन्हें इन राज्य सरकारों द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग हेतु प्राधिकृत किया गया है।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक श्री भगवान पाण्डेय, राजभाषा अधिकारी, डीरेका एवं सदस्य सचिव, नराकास, वाराणसी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 04.07.2017 एवं इसके साथ संलग्न गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, भारत सरकार के दिनांक 13.04.2011 एवं 04.05.2017 के कार्यालय ज्ञापन का अवलोकन करने का कष्ट करें।

इस संबंध में मुझे यह अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि आप अपने कार्यालय में उक्त कार्यालय ज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक- यथोक्त।

गणेश
13/07/17
सहायक कुलसचिव (प्रशासन)-प्रथम

पत्र संख्या. भा.प्रौ.सं.(का.हि.वि.)/सा.प्रशा./3(8-ग)/रा.भा.प्र/सामान्य दिनांकः 13.07.2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः
1. निदेशक के निजी सचिव
2. कुलसचिव के वैयक्तिक सहायक

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)-प्रथम

001.bmp

6

भारत सरकार
नगर राजभाष कार्यान्वयन समिति
डीजल रेल इंजन कारखाना
वाराणसी - 221004

पत्र सं. रा.भा./नराकास/1/1/भाग-4

कार्यालय- महाप्रबंधक (राजभाषा)
दिनांक- 04.07.2017

कार्यालय प्रमुख / प्रशासनिक प्रधान
केन्द्रीय सरकारी कार्यालय / निगम / उपक्रम
नराकास, वाराणसी।

विषय- **हिंदी के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले राज्यों में बोर्डों, साइन बोर्डों, नाम पट्टों और दिशा-संकेतकों पर हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त उन भाषाओं का प्रयोग, जिन्हें इन राज्य सरकारों द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग हेतु प्राधिकृत किया गया है।**

संदर्भ- क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उ.क्षे.-2), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, भारत सरकार का दिनांक 26.05.2017 का पत्र सं. 19/7/2011-क्षे.का.का.(उ.-2)/

संदर्भित पत्र के साथ संलग्न गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 13/04/2011 एवं 04/05/2017 का कार्यालय ज्ञापन का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसकी प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न की जा रही है कि इस कार्यालय ज्ञापन मे दिए गए दिशा-निर्देशों का अपने सभी कार्यालयों में अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

(हस्ताक्षर) 04/07/17

(श्री भगवान पाण्डेय)
राजभाषा अधिकारी, डीरेका
एवं
सदस्य सचिव, नराकास,
वाराणसी।
मो.सं.- 09794861011
ई-मेल:- srrbadlwbsb@gmail.com

05

जारी किया
ISSUED
13 APR 2011
हस्ताक्षर/Intls. ......
प्रा० तथा पे०/R&I/LNB

संख्या I/14013/07/2010-रा.भा.(नीति-1)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

***

लोकनायक भवन, खान मार्केट

नई दिल्ली, दिनांक : 07 अप्रैल, 2011

13 APR 2011

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषयः-हिंदी को शासकीय प्रयोजन के लिए प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले राज्यों में बोर्डों, साइन बोर्डों, नाम पट्टों और दिशा-संकेतकों पर हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त [illegible] भाषाओं का प्रयोग, जिन्हें इन राज्य सरकारों द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग [illegible] प्राधिकृत किया गया है ।

हिंदी भाषी राज्यों अर्थात् 'क' क्षेत्र में स्थित राज्यों (जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी [illegible] में बोर्डों, साइन बोर्डों, नाम पट्टों और दिशा-संकेतकों पर हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त [illegible] भाषाओं, जो कि शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग हेतु प्राधिकृत हैं, के प्रयोग संबंधी प्रकरण [illegible] सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखकर गंभीरता से विचार किया गया है ।

2. इन राज्यों में रहने वाली आम जनता की सुविधा, और समाज के विशाल [illegible] कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार के सभी कार्यालय [illegible] सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तथा उपक्रम बोर्डों, साइन बोर्डों, नाम पट्टों और दिशा-संकेतकों पर, [illegible] और अंग्रेजी के अतिरिक्त, उन भाषाओं, जो राज्य सरकारों द्वारा शासकीय प्रयोजनों के प्रयोग [illegible] प्राधिकृत की गयी हैं, में सूचना/सामग्री लिखेंगे/मुद्रित करेंगे/पेंट करेंगे/उत्कीर्ण करेंगे/[illegible] सभी भाषाओं के शब्दों का आकार समान होगा ।

3. बोर्ड, साइन बोर्ड, नाम पट्ट और दिशा-संकेतक सर्वप्रथम हिंदी में लिखे/[illegible] अथवा मुद्रित/पेंट/उत्कीर्ण किए जायेंगे । राज्यों की राजभाषाओं, तथा अंग्रेजी भाषा [illegible] संबंधित विभाग या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

4. हिंदीतर भाषी राज्यों अर्थात् 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित राज्यों में बोर्डों, साइन बोर्डों, नाम पट्टों और दिशा-संकेतकों के लिए दिनांक 18.06.1977 के कार्यालय ज्ञापन संख्या I/14013/5/76-रा.भा.(क-1) में निहित निर्देश, जिनके अनुसार क्षेत्रीय भाषा, हिंदी तथा अंग्रेजी [illegible] इसी क्रम में प्रयोग की जानी है, यथावत् रहेंगे ।

5. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

[illegible]
(राकेश [illegible])
निदेशक [illegible]

गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

एन.डी.सी.सी.-II बिल्डिंग, बी विंग
जयसिंह रोड, नई दिल्ली, दिनांक

04 MAY

कार्यालय ज्ञापन

विषय- हिंदी को शासकीय प्रयोजन के लिए प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले राज्य ... साइन बोर्डों, नाम पट्टों और दिशा-संकेतकों पर हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त ... का प्रयोग, जिन्हें इन राज्य सरकारों द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ... किया गया है।

कृपया उपरोक्त विषय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या ... 2010-रा.भा.(नीति-I) दिनांक 07.04.2011 का अवलोकन करें।

2. राजभाषा विभाग ने भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों के दृष्टिगत दिनांक 07.04.2011 ... कार्यालय ज्ञापन जारी किए थे। संबंधित कार्यालय ज्ञापन की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक ... संलग्न है।

अवर सचिव

के.सी. सामरिया
आयुक्त
भाषाजात अल्पसंख्यक(मुख्यालय)
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय,
... नगर हाउस, शाहजहां रोड,
नई दिल्ली-110001

प्रतिलिपि

(क) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को -इस अनुरोध के साथ ... अनुदेशों की एक प्रति अपने सभी अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों, अपने ... नियंत्रणाधीन स्वायत्त निकायों, उपक्रमों तथा पर्याप्त लोक-संपर्क रखने वाले ... रेलवे, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड, भारत ... निगम लिमिटेड आदि में तुरंत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परिचालित करें।

1. (क) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को – इस अनुरोध के साथ कि वे इन अनुदेशों की एक प्रति अपने सभी अधीनस्थ/संबंद्ध कार्यालयों, अपने मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन स्वायत्त निकायों, उपक्रमों तथा पर्याप्त लोक-संपर्क रखने वाले संगठनों यथा रेलवे, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड आदि में तुरंत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परिचालित करें ।

(ख) सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग (वित्त मंत्रालय) को इस अनुरोध के साथ कि वे इन अनुदेशों को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कम्पनियों तथा उक्त राज्यों में वित्तीय सेवाएं देने वाले अन्य संगठनों के अध्यक्षों/कार्यालय प्रमुखों को तत्काल परिचालित करवायें ।

2. हिन्दी भाषी सभी राज्यों यथा बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व उत्तरांखड़ के सचिवों (राजभाषा) तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिवों को ।

3. अध्यक्ष, (उक्त राज्यों में स्थित) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां ।

4. रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को रेलवे स्टेशनों पर नाम-पट्टों, साइन-बोर्डों पर प्रयोग होने वाली भाषा/भाषाओं से संबंधित उनके दिनांक 08.11.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या हिंदी 2010/रा.भा.1/8/5 तथा उसके बाद के पत्राचार के संदर्भ में ।

5. श्री ओंकार केडिया, एडीजी, मीडिया एवं कम्यूनिकेशन, गृह मंत्रालय

6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को इस निदेश के साथ कि उक्त निदेशों को राजभाषा विभाग की वेब-साइट पर 'नया क्या है' तथा 'महत्वपूर्ण सूचनाएं' शीर्षकों के अंतर्गत अप-लोड करवायें ।

प्रति सूचनार्थ तथा इस निर्देश के साथ कि इस सूचना का विस्तारण नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से एवं अन्य प्रचार माध्यमों से कराया जाये:-

1. सभी कार्यभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (08),
2. निदेशक, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वां तल, पर्यावरण भवन, बी-ब्लॉक, सीजीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली ।
3. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, 8वा तल, पर्यावरण भवन, बी-ब्लॉक, सीजीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली ।